


<p>तारीख</p>	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू केस कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत बीवासर प्रकरण सं. 51/2016 उनवान शिशराम बनाम ईशरदत बगैरह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 34 नियम 1 व 2 धारा 151 सी पी सी</p>	<p>राजस्व लोक अदालत न्याय अधिक द्वारा अभियान-2018</p>
<p>18.06.2018</p>	<p>यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बीवासर में पेश हुई। न्यायालय मत पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.05.2016 को विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया है। वकील प्रार्थी को न्यायालय द्वारा कुल 19 अवसर तलबी हेतु दिये जाने के उपरान्त भी वकील प्रार्थी द्वारा तागील पेश नहीं की गई। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र इस स्तर पर अदम तकगील खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकगील दाखिल दफ़्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.) </p>	